न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

“प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021“

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
29 / 2021	14.06.2021	27.10.2021

अनवान

1. घीसा पिता हेमा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. टोलू पिता हेमा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. नारायण पिता हेमा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. बालू पिता हेमा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मु0 भूरी पत्नि हेमा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भागीरथ पिता भगवान कुमावत उम्र वयस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कालु पिता भगवान कुमावत उम्र वयस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. लक्ष्मण पिता भगवान कुमावत उम्र वयस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. रामलाल पिता भगवान कुमावत उम्र वयस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री हरीश तुल्छिया प्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 17:51:30 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 14.06.2021 को प्रस्तुत किया । वकील प्रार्थीगण आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र करूंकडा में हाजिर हुए। हाजिर वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया

जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा करूंकडा पटवार हल्का करूंकडा तहसील कपासन मे ंस्थित आराजी संख्या 1107, 1110, 1111, 1115, 1116 कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा करूंकडा पटवार हल्का करूंकडा तहसील कपासन मे ंस्थित आराजी संख्या 1107, 1110, 1111, 1115, 1116 कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 17:51:30 IST
Reason: SelfAttested